



Neutral Citation No. - 2026:AHC:48602

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**रिट - बी संख्या - 10111/1988**

जोधी लाल

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

डी. डी. सी. और अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अमीना मुमताज, हाशिम खान, कु. आमना मुमताज, प्रदीप कुमार मौर्य, राधे श्याम, राजेश द्विवेदी, संजय, सतीश द्विवेदी, विनोद कुमार मौर्य

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : पी.आर. मौर्य, एस.सी.

**न्यायालय संख्या - 54**

**माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक**

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया, तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

**संदर्भ में : सिविल विविध विलंब माफी आवेदन संख्या 4/2024 और सिविल विविध प्रतिस्थापन**

**आवेदन संख्या 5/2022।**

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. यह प्रतिस्थापन आवेदन, विलंब माफी आवेदन के साथ संलग्न शपथ पत्र द्वारा समर्थित होकर, मृतक याचिकाकर्ता (अर्थात् जोधी लाल) के वारिसों और विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3. दिनांक 27.01.2026 की कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार, उपर्युक्त आवेदनों पर नोटिस जारी किए गए थे; तथापि, न तो कोई बिना तामील हुआ लिफाफा और न ही 'पावती रसीद' वापस प्राप्त हुई है।

4. प्रतिस्थापन आवेदन का कोई विरोध नहीं किया गया है।

5. प्रतिस्थापन आवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलंब हेतु दर्शाया गया कारण पर्याप्त है और न्यायालय के संतोषजनक है। अतः, विलंब माफी आवेदन के साथ-साथ प्रतिस्थापन आवेदन भी स्वीकार किया जाता है। प्रतिस्थापन आवेदन को निर्धारित परिसीमा अवधि के भीतर ही प्रस्तुत किया गया माना जाएगा। यदि कोई उपशमन हुआ हो, तो उसे अपास्त किया जाता है।

6. याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह आज ही के दिन, इस रिट याचिका के 'वाद पक्षों' में मृतक याचिकाकर्ता के वारिसों और विधिक प्रतिनिधियों को 'याचिकाकर्ता संख्या 1/1' के रूप में प्रतिस्थापित करे।

**संदर्भ में : सिविल विविध वापसी आवेदन संख्या 13, 2026**

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. यह वर्तमान वापसी आवेदन याचिकाकर्ता की ओर से, उनके विद्वान अधिवक्ता श्री हाशिम खान (अधिवक्ता) के माध्यम से, राम प्रकाश (याचिकाकर्ता सं. 1/1) के शपथ पत्र के समर्थन में दायर किया गया है।
8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए, याचिकाकर्ता इस वर्तमान रिट याचिका पर आगे ज़ोर नहीं देना चाहता है; अतः, इसे वापस लिया गया मानकर खारिज किया जा सकता है।
9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए इस निवेदन का कोई विरोध नहीं है।
10. तदनुसार, यह वर्तमान वापसी आवेदन एतद्वारा स्वीकार किया जाता है।

**विषय: रिट याचिका**

11. वापसी आवेदन में आज पारित आदेश के आलोक में (जैसा कि ऊपर उल्लेखित है), यह वर्तमान रिट याचिका वापस ली गई मानकर खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

10 मार्च, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”